3/यो0स०क०-35/2023

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग 22

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 13.04.2026

विषय:- **वितीय वर्ष 2026-27 में समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत संचालित बाल सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्कीम मद में रू० 10.00 लाख (दस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के बेहतर पालन-पोषण, आवासन एवं शिक्षा के लिए अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत बाल सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। वितीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राप्त रू० 10.00 लाख (दस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू. लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	बाल सहायता योजना	(51-2235021020121)	0121.31.06	10.00
कुल योग : (दस लाख)				10.00

2 इस योजना का संचालन समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा। समाज कल्याण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपलब्ध राशि के निकासी एवं व्यय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना राशि की निकासी कर उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना को उपलब्ध करायेंगे तथा निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक 12888/वि० दिनांक 03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशो/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-35/2023 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-10/टि0 पर दिनांक-09.04.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-35/2023 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-10/टि0 पर दिनांक-10.04.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

13/4/26

(योगेश कुमार सागर)

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-35/2023 22 पटना, दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-35/2023 22 पटना, दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-35/2023 22 पटना, दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि –विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं उक्त स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव।